

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में ,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा सपोर्ट /2008-09/5/11363-71 दिनांक- 29 मई 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं की समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम् भूमिका है। आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप का गठन, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा/08-09/05/876 दिनांक 19.08.2008 द्वारा किया जा चुका है। राज्य स्तर पर आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की तरह जनपद स्तर पर आशा सर्पोट मेकेनिजम के अन्तर्गत “जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप” का गठन किया जाना है।

जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न करके भेजे जा रहे हैं। जिनका पालन निम्नवत करना सुनिश्चित करें।

1. पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर “जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप” के सम्बन्ध में दिशा निर्देशानुसार सदस्यों का चयन कर लिया जाये।
2. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आहूत् करके प्रस्तावित सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करके जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सदस्यों से गठन की स्वीकृति प्राप्त की जाये।
3. जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गठन का उद्देश्य, संरचना, कार्यकलाप एवं संचालन हेतु प्रशासनिक/ वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र संलग्न किया जा रहा है।
4. आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्य निम्न स्तर पर आशा कार्यक्रम का फीड बैंक प्राप्त कर सकते हैं :-

दिशा निर्देश

जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह

प्रदेश में “आशा” कार्यक्रम में नीति निर्देशन, उनके Capacity Building, कार्यक्रम की संरचना एवं आशाओं को और प्रभावी बनाने के लिये राज्य स्तर पर वांछित कार्यवाही के संबंध में राज्य स्वास्थ्य मिशन को परामर्श देने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप (AMG) का गठन पत्र सं. एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा सपोर्ट /08-09/05/876 दिनांक 19-8-2008 द्वारा किया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप का गठन जनपद स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर भी किया जाना है। उक्त के क्रम में दिनांक 4 फरवरी 2009 को सिप्सा सभागार में आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक में मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के गठन का प्रस्ताव निम्नवत् है :

जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की संरचना—

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जनपदीय आशा नोडल अधिकारी	संयोजक
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
6.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
7.	जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	आई०एम०ए०/आई०ए०पी० के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	पी.एच.सी./सी.एच.सी. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (दो)	सदस्य
10.	बी०डी०.ओ०. (दो)	सदस्य

अ. आशाओं की ब्लॉक स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों में।
 ब. क्षेत्र में भ्रमण के समय आशाओं से सीधे सम्पर्क करके।
 स. स्वास्थ्य कर्मियों एवं समुदाय के लाभार्थियों से।

आशाओं से फीडबैक प्राप्त करके अपने सुझाव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप को दें।

5. जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के समस्त सदस्यों को आशा योजना की मेन्टॉरिंग के लिए यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे स्वतंत्र रूप से समुदाय पंचायत स्तर पर कार्य कर निस्पक्ष फीडबैक एवं सुधारात्मक सुझाव दे सकें।
6. जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गठन के पश्चात् संलग्न प्रपत्र पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक, सचिव, तथा सदस्यगणों के नाम पद एवं सम्पर्क सूत्र भर कर डा० हरिओम दीक्षित महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०, १९ – ए, विशाल कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, को प्रेषित करने का कष्ट करें अथवा ई – मेल के द्वारा नीचे दिये गये पते पर भेजना सुनिश्चित करें।

drhariom.dixit@gmail.com

sajidishtiaque@yahoo.co.in

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
मिशन निदेशक

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा सपोर्ट / 2008–09/5/11434 क तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

2—मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम., भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली।

3—समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

4—महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

5—समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।

6—समस्त सदस्यगण राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप उत्तर प्रदेश।

7—डिवीज़नल कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कम्यूनिटी मॉबिलाईज़र

(चंचल कुमार तिवारी)
मिशन निदेशक

9/01/2023

11.	सी0डी0पी0ओ0 (दो)	सदस्य
12.	स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि (6)	सदस्य
13.	एच0ई0आई0ओ0(2)	सदस्य
14.	जिला कम्यूनिटी मोबिलाईजर	सचिव
15.	स्वास्थ्य निरीक्षिका (2)	सदस्य
16.	राज्य आशा मेन्टरिंग ग्रुप का नामित सदस्य	सदस्य

उपरोक्त जनपदीय आशा मेन्टरिंग ग्रुप के गठन एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, द्वारा जिला स्वास्थ्य समीति में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

आशा मेन्टरिंग ग्रुप के उद्देश्य एवं मुख्य कार्यकलाप

- आशा मेन्टरिंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य आशा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु नीति निर्देशन एवं विशेष तौर पर आशाओं की केपेसिटी बिल्डिंग सम्बन्धित कार्यकलाप की संरचना एवं समुदाय में आशाओं की पहचान को और मजबूत बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य मिशन को परामर्श देना है।
- आशा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा करना व निराकरण हेतु रणनीति तैयार करना।
- आशा योजना के अन्तर्गत समय समय पर जारी शासनादेश व निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने में सहयोग करना।
- आशा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझावों का आदान प्रदान करना।
- आशा मेन्टरिंग ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में आशाओं की मेन्टरिंग का मुख्य दायित्व होगा। जनपदों में आशा मेन्टरिंग ग्रुप की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जिसमें सदस्यगण

आवश्यक फीडबैक/सुझाव देंगे और विभिन्न बिन्दुओं पर अपनी आख्या जिला स्तर पर प्रस्तुत करेंगे।

- प्रयास किया जाये कि स्वैच्छिक संगठन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण कार्यक्रम बना कर आशा मेन्टॉरिंग का कार्य करेंगे
- राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्य जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक के विचारणीय बिन्दुओं को राज्य स्तर पर होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेंगे
- आयोजित बैठक का कार्यवृत्त जिला कम्यूनिटी मोबिलाईज़र द्वारा राज्य आशा नोडल अधिकारी एस.पी.एम.यू. को प्रेषित किया जायेगा।

“जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप” के संचालन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय व्यवस्था

आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गैर सरकारी सदस्यों को जनपद स्तर पर आहूत बैठकों के लिए निम्न दरों पर व्यय अनुमन्य होगा जो जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा

(अ) यात्रा व्यय	(वास्तविक आधार पर)	रु0 1000/-
(ब) बैठक हेतु जलपान		रु0 500/-
(स) कन्टीजेन्सी एवं अन्य		रु0 1000/-



डा० हरिओम दीक्षित
महाप्रबन्धक, (सी०पी०)
एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य०

जनपद स्तरीय “आशा मेन्टॉरिंग युप” के गठन हेतु प्रपत्र